

Regarding need to ensure minimum 150 days of employment with Rs. 500 per day wages under MGNREGS-Laid

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को गारंटी के साथ रोजगार देना था, लेकिन हाल के वर्षों, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में बजट में भारी कटौती हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसे धीरे-धीरे बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सहित देशभर में मजदूरों को 100 दिन का भी कार्य नहीं मिल रहा है, पारिश्रमिक भी अत्यंत कम है और समय पर भुगतान नहीं हो रहा। मेटों व मटेरियल की भुगतान प्रक्रिया 1-2 वर्षों तक लंबित रहती है, जिससे पक्के कार्य व कृषि से संबंधित काम पूरी तरह ठप हैं और ग्रामीण गरीब पलायन को मजबूर हैं। ग्राम पंचायतों में फॉर्म 6 भरने के 15 दिनों के अंदर काम न मिलने पर भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में श्रीगंगानगर सहित देशभर में कितने मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला, कितनों को बेरोजगारी भत्ता मिला और कितने प्रतिशत पक्के कार्य हुए। मेरी मांग है कि मनरेगा में साल में कम से कम 150 दिन का रोजगार, ₹500 न्यूनतम मजदूरी तथा कृषि एवं अन्य विभागों से योजना को जोड़ा जाए।